भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3652

जिसका उत्तर सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

वाहन मालिक-चालकों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

3652. श्री राजकुमार चाहर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहन मालिक-चालकों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की अवधारणा और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या यह आईआरडीएआई विनियमों और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य है;

(ग) यदि हाँ, तो जारी की गई ऐसी पॉलिसियों के पिछले पाँच वर्षों के आँकड़े और वर्षवार कुल पंजीकृत मोटर वाहन क्या हैं;

(घ) न्यूनतम बीमा राशि और अंतिम संशोधन की तिथि क्या है; और

(ङ) क्या बीमाकर्ता इसका अनुपालन करते हैं और इसे बंडल अथवा स्वतंत्र कवर के रूप में प्रदान करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वाहन मालिक-चालकों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) में वाहन चलाते समय (जिसमें चढ़ना/उतरना शामिल है) या बीमित वाहन में सह-चालक के रूप में यात्रा करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में वाहन मालिकों-चालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है। बीमित वाहन का मालिक जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, को इस प्रयोजन हेतु मालिक-चालक कहा गया है। निजी कारों, दोपहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों सहित मोटर वाहनों के लिए साधारण बीमा कंपनियों में सीपीए कवर साथ उपलब्ध है।

(ख) से (ङ): बीमा अधिनियम, 1938 के भाग-IIख के अंतर्गत गठित पूर्ववर्ती टैरिफ सलाहकार समिति (टीएसी) ने भारतीय मोटर टैरिफ (आईएमटी) 2002 निर्धारित किया था जिसमें भारत में मोटर बीमा के लेन-देन के लिए नियम, निबंधन और शर्तें आदि निहित थीं। आईएमटी 2002 के सामान्य

विनियम 36 में मोटर वाहनों के मालिक-चालकों के लिए सीपीए कवर अनिवार्य है, जिसमें मोटर चालित दोपहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपये और निजी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 2 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई है।

बाद में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 26 अक्टूबर 2017 के निर्णय के अनुसार, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सीपीए बीमा के संबंध में विभिन्न परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें हाल में ही 11 दिसंबर, 2018 को जारी किए परिपत्र में यह निर्धारित किया गया है कि मोटर बीमा व्यवसाय करने वाले सभी साधारण बीमाकर्ता एक वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए 15 लाख रुपये की न्यूनतम बीमा राशि के लिए वाहन मालिक-चालक के लिए स्टैंडअलोन सीपीए कवर प्रदान करेंगे। स्टैंड-अलोन सीपीए के अंतर्गत इसी पॉलिसी के अंतर्गत वाहन मालिक-चालक के स्वामित्व वाले सभी वाहनों को कवर किया जाएगा।

तथापि, बीमित व्यक्ति को कतिपय अपवादों जैसे कि जहां उन्होंने पहले से ही अन्य जीवन या व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों में स्वयं को पर्याप्त रूप से (15 लाख रुपये या उससे अधिक) कवर किया है और/या उनके पास कई वाहन हैं और पहले से ही वे वाहन बीमा के तहत कवर किए गए हैं, जहां कोई वाहन किसी कंपनी, साझेदारी फर्म या इसी तरह की कोई निगमित संस्था के स्वामित्व में है, के आधार पर विकल्प चुनने की अनुमति है।

01 जनवरी, 2019 से, इरडाई ने बीमा कंपनियों को वाहन मालिक-चालक के लिए स्टैंड-अलोन सीपीए कवर जारी करने की अनुमति दी है। तथापि, यदि कोई पॉलिसीधारक लाइबलिटी ओनली पॉलिसी या पैकेज पॉलिसी के भाग के रूप में सीपीए कवर का विकल्प चुनता है, तो वह उसे जारी रख सकता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई ऐसी पॉलिसियों और कुल पंजीकृत मोटर वाहनों के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

*****

दिनांक 11.8.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3652 में संदर्भित अनुबंध

<u>पिछले 5 वित्तीय वर्ष में जारी सीपीए पॉलिसियों की संख्या</u>

वित्तीय वर्ष	**मालिक/चालक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों की संख्या**
2019-20	7,74,98,362
2020-21	6,79,17,152
2021-22	6,80,31,126
2022-23	6,58,64,828
2023-24	7,20,58,557

स्रोत: बीमा आसूचना ब्यूरो

<u>पिछले 5 वर्षों में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या</u>

केलेंडर वर्ष	**प्रति वर्ष पंजीकृत किए गए वाहन**
2020	1,863,3419
2021	1,891,0622
2022	2,157,7909
2023	2,400,8418
2024	2,620,9814
2025 (till 5.8.2025)	1,51,71261

स्रोतःसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

******